Reg. No. RNP/GOA/32/2024-2026

RNI No. GOAENG/2002/6410

Panaji, 17th March, 2026 (Phalguna 26, 1947)

SERIES II No. 50

OFFICIAL GAZETTE

GOVERNMENT OF GOA

PUBLISHED BY AUTHORITY

EXTRAORDINARY

No. 6

GOVERNMENT OF GOA

Office of the Chief Electoral Officer

Order

No. 5-9-2026/ELEC/592 Date : 17-Mar-2026

The following Order No. 3/4/ID/2026/SDR/Vol. I dated 15-03-2026 issued by the Election Commission of India, New Delhi, under Section 61 of Representation of People Act, 1951, regarding the bye elections of 21—Ponda Assembly Constituency, in the State of Goa, is hereby published for general information.

Sanjay Goel, IAS, Chief Electoral Officer.

Panaji.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

Dated: 15th March, 2026

Order

No. 3/4/ID/2026/SDR/VOL.I

Whereas, Section 61 of the Representation of the People Act, 1951 provides that with a view to preventing personation of electors, so as to make the right of genuine electors to vote under section 62 of that Act more effective, provisions may be made by rules under that Act for use of Electors Photo Identity Card for electors as the means of establishing their identity at the time of polling; and

2. Whereas, Rule 28 of the Registration of Electors Rules, 1960, empowers the Election Commission to direct, with a view to preventing personation of electors and facilitating their identification at the time of

poll, issue of Electors' Photo Identity Card to electors bearing their photographs at State cost; and

3. Whereas, Rules 49H (3) and 49K (2) (b) of the Conduct of Elections Rules, 1961, stipulate that where the electors of a constituency have been supplied with Electors' Photo Identity Card under the said provisions of Rule 28 of the Registration of Electors Rules, 1960, the electors shall produce their Elector Photo Identity Card at the polling station and failure or refusal on their part to produce those Elector Photo Identity Card may result in the denial of permission to vote; and

4. Whereas, a combined and harmonious reading of the aforesaid provisions of the said Act and the Rules, makes it clear that although the right to vote arises by the existence of the name in the electoral roll, it is also dependent upon the use of the Elector Photo Identity Card, where provided by the Election Commission at State cost, as the means of establishing their identity at the time of polling and that both are to be used together; and

5. Whereas, the Election Commission made an Order on the 28th August, 1993, directing the issue of Electors' Photo Identity Card (EPIC) to all electors, according to a time bound programme; and

6. Whereas, Electors' Photo Identity Card have been issued to approximately 100% electors in the States of Assam, Kerala, Tamil Nadu, West Bengal, Puducherry, Maharashtra, Goa, Karnataka, Nagaland, Tripura and Gujarat; and

7. Now, therefore, after taking into account all relevant factors and the legal and factual positions, the Election Commission hereby directs that for the **current general election to the Legislative Assemblies of Assam, Kerala, Tamil Nadu, West Bengal and Puducherry and bye-elections to 8 Assembly constituencies in 6 States (as per Annexure-I) to be notified on 16-03-2026, 30-03-2026 and 02-04-2026,** all electors who have been issued EPIC are expected to produce the EPIC for their identification at the polling stations before casting their votes. Those electors who are not able to produce the EPIC shall produce one of the following alternative photo identity documents for establishing their identity:-

(i) Aadhaar Card;

(ii) MGNREGA Job Card;

(iii) Passbooks with photograph issued by Bank/Post Office;

(iv) Health Insurance Smart Card issued under the scheme of Ministry of Labour/Ayushman Bharat Health Card;

(v) Driving License;

(vi) PAN Card;

(vii) Smart Card issued by RGI under NPR;

(viii) Indian Passport;

(ix) Pension document with photograph;

(x) Service Identity Cards with photograph issued to employees by Central/State Govt./PSUs/Public Limited Companies;

(xi) Official identity cards issued to MPs/MLAs/MLCs and

(xii) Unique Disability ID (UDID) Card, M/o Social Justice & Empowerment, Government of India

8. In the case of EPIC, clerical errors, spelling mistakes, etc. should be ignored provided that the identity of the elector can be established by the EPIC. If an elector produces an EPIC which has been issued by the Electoral Registration Officer of another Assembly Constituency, such EPIC shall also be accepted for identification provided that the name of that elector finds place in the electoral roll pertaining to the polling station where the elector has turned up for voting. If it is not possible to establish the identity of the elector on account of mismatch of photograph, etc. the elector shall have to produce one of the alternative photo documents mentioned in Para 7 above.

9. Notwithstanding anything in Para 7 above, overseas electors who are registered in the electoral roll under Section 20A of the Representation of the People Act, 1950, based on the particulars in their

Indian Passport, shall be identified on the basis of their original passport only (and no other identity document) at the polling station.

By Order,

(*S. B. Joshi*)
Principal Secretary

ANNEXURE-I

Sl. No.	Name of the State	Number and Name of the AC
1.	Maharashtra	223-Rahuri AC
2.		201-Baramati AC
3.	Goa	21-Ponda AC
4.	Karnataka	24-Bagalkot AC
5.		107-Davanagere South AC
6.	Nagaland	28-Koridang (ST) AC
7.	Tripura	56-Dharmanagar AC
8.	Gujarat	111-Umreth AC

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 3/4/आईडी/2026/एसडीआर/खण्ड-I दिनांकः- 15 मार्च, 2026

आदेश

यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61 में यह उपबंधित है कि निर्वाचकों के प्रतिरुपण का निवारण करने की दृष्टि से, ताकि उक्त अधिनियम की धारा 62 के अधीन वास्तविक निर्वाचकों का उनके मत देने के अधिकार को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके, मतदान के समय निर्वाचकों की पहचान सुनिश्चित करने के साधन के रुप में निर्वाचकों के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के उपयोग हेतु नियमों के द्वारा उपबंध किए जा सकते हैं, तथा

2. यतः निर्वाचकों का रजिस्ट्रिकरण नियम, 1960 का नियम 28 निर्वाचन आयोग को, इस दृष्टि से कि निर्वाचकों के प्रतिरुपण का निवारण हो सके तथा मतदान के समय उनकी पहचान को सरल बनाया जा सके, निर्वाचको को राज्य की लागत पर फोटोयुक्त निर्वाचक फोटो-पहचान पत्र जारी करने के लिए निदेश देने की शक्ति प्रदान करता है; तथा

3. यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49 ज(3) और 49 ट(2) (ख) में यह उपबंधित है कि जहाँ किसी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचकों को निर्वाचक रजिस्ट्रिकरण नियम, 1960, के नियम 28 के उक्त उपबंधों के अधीन निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र दिए गए हैं, वहां निर्वाचकों को मतदान केन्द्र में अपना निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र दिखाना होगा तथा उनकी ओर से उन निर्वाचक फोटो पहचान पत्रों को नहीं दिखाए जाने या दिखाने में असमर्थ होने पर उन्हें मत डालने की अनुमति देने से इन्कार किया जा सकता है; तथा

4. यतः, उक्त अधिनियम, और नियमों के उपर्युक्त उपबंधों को मिलाकर एवं सामंजस्यपूर्ण ढंग से उनके अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि मत देने का अधिकार निर्वाचक नामावली में नाम के होने से ही होता हैं, यह निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य की लागत पर, मतदान के समय उनकी पहचान सुनिश्चित करने के साधन के रुप में प्रदान करवाए गए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के प्रयोग पर भी निर्भर करता है, तथा दोनों का एक साथ प्रयोग करना होता है; तथा

5. यतः, निर्वाचन आयोग ने एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार सभी निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र ई0पी0आई0सी0 जारी करने का निदेश देते हुए 28 अगस्त, 1993 को एक आदेश जारी किया है; तथा

6. यतः, असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, नागालैंड, त्रिपुरा तथा गुजरात के राज्यों मे लगभग 100% निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं ,तथा

7. अत: अब, सभी संबद्ध कारकों तथा विधिक एवं तथ्यात्मक स्थितियों को, ध्यान में रखते हुए, निर्वाचन आयोग, एतद्द्वारा, यह निदेश देता है कि दिनांक **16.03.2026, 30.03.2026 and 02.04.2026** को अधिसूचित किये जाने वाले असम**,** केरल**,** तमिलनाडु**,** पश्चिम बंगाल**,** पुडुचेरी की विधानसभाओं के साधारण निर्वाचन एवं **6** राज्यों में 8 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों (अनुलग्नक 1 के अनुसार) के उप निर्वाचनों के लिए सभी निर्वाचकों, जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं, से अपेक्षा की जाती है कि वे मतदान स्थल पर अपना मत डालने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने हेतु अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे। ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा:-

i. आधार कार्ड,
ii. मनरेगा जॉब कार्ड,
iii. बैंको/डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक,
iv. श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड/आयुष्मान भारत हैल्थ कार्ड
v. ड्राइविंग लाइसेन्स,
vi. पैन कार्ड,
vii. एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड,
viii. भारतीय पासपोर्ट,
ix. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज,
x. केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र,
xi. सांसदो/विधायकों/विधान परिषद् सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, और
xii. यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार।

8. एपिक के संबंध में, लेखन अशुद्धि, वर्तनी की अशुद्धि इत्यादि को नजरअंदाज कर देना चाहिए बशर्ते निर्वाचक की पहचान एपिक से सुनिश्चित की जा सके। यदि कोई निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य सभा निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया हैं, ऐसे एपिक भी पहचान स्थापित करने हेतू स्वीकृत किए जाएंगे बशर्तें उस निर्वाचक का नाम जहां वह मतदान करने आया है उस मतदान केंद्र से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध हो। यदि फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण निर्वाचक की पहचान सुनिश्चित करना संभव न हो तब निर्वाचक को उपर्युक्त पैरा 7 में वर्णित किसी एक वैकल्पिक फोटो दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा।

9. उक्त पैरा 7 में किसी बात के होते हुए भी, प्रवासी निर्वाचकों को जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20क के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत हैं, मतदान केन्द्र में केवल उनके मूल पासपोर्ट (तथा कोई अन्य पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जाएगा ।

आदेश से,

(एस.बी.जोशी)
प्रधान सचिव

अनुलग्नक-1

क्रम सं.	राज्य का नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम
1.	महाराष्ट्र	223-राहुरी वि.स.नि.क्षे.
2.		201-बारामती वि.स.नि.क्षे.
3.	गोवा	21- फोंडा वि.स.नि.क्षे.
4.	कर्नाटक	24-बागलकोट वि.स.नि.क्षे.
5.		107-दावन्गेरे दक्षिण वि.स.नि.क्षे.
6.	नागालैंड	28-कोरीडाँग (अ.ज.जा) वि.स.नि.क्षे.
7.	त्रिपुरा	56-धर्मानगर वि.स.नि.क्षे.
8.	गुजरात	111-उमरेठ वि.स.नि.क्षे.

Notification

No. 5-9-2026/ELEC/598 Date : 17-Mar-2026

The following two Notification No. 52/2026/SDR/Vol.IV and 52/2026/SDR/Vol.IV dated 15-03-2026 issued by the Election Commission of India, New Delhi, under Section 30 of Representation of People Act, 1951, regarding the bye-elections of 21—Ponda Assembly Constituency, in the State of Goa, is hereby published for general information.

Sanjay Goel, IAS, Chief Electoral Officer

Panaji.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

Dated: 15th March, 2026

Notification

No. 52/2026/SDR/Vol.IV

In pursuance of the provisions of clause (c) of Section 60 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby specifies that the elector above the age of 85 years and person with benchmark disability as already marked/flagged in the data base of the electoral rolls of the State and, who requests for voting by postal ballot paper and subject to the verification of his request by Returning Officer concerned, would be a class of persons to give his vote by postal ballot in the **current general election to the Legislative Assemblies of Assam, Kerala, Tamil Nadu, West Bengal and Puducherry and bye-elections to 8 Assembly Constituencies in 6 States (as per Annexure-I), Scheduled to be notified on 16-03-2026, 30-03-2026 and 02-04-2026** under Section 30 of the Representation of the People Act, 1951, as per the provisions in Part-IIIA of the Conduct of Elections Rules, 1961.

By Order,

(*S.B.Joshi*)
Principal Secretary

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

Dated: 15th March, 2026

Notification

No. 52/2026/SDR/Vol.IV

In pursuance of the provisions of Clause (c) of Section 60 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby specifies that the Covid-19 suspect or affected person, certified by competent authority, who applies for voting by postal ballot paper, and subject to verification of their request by the Returning Officer concerned, would be a class of persons to give their vote by postal ballot in the **current general election to the Legislative Assemblies of Assam, Kerala, Tamil Nadu, West Bengal and Puducherry and bye-elections to 8 Assembly Constituencies in 6 States (as per Annexure-I), scheduled to be notified on 16.03.2026, 30.03.2026 and 02.04.2026** under Section 30 of the Representation of the People Act, 1951, as per the provisions in Part-IIIA of the Conduct of Elections Rules, 1961, as amended vide Ministry of Law & Justice, Govt. of India, Notification SO No. 1964(E), dated 19th June, 2020 read with the directions and guidelines issued by the Election Commission on the subject.

By Order,

(*S.B.Joshi*)
Principal Secretary

ANNEXURE-1

Sl. No.	Name of the State	Number and Name of the AC
1.	**Maharashtra**	223-Rahuri AC
2.		201-Baramati AC
3.	**Goa**	21-Ponda AC
4.	**Karnataka**	24-Bagalkot AC
5.		107-Davanagere South AC
6.	**Nagaland**	28-Koridang(ST) AC
7.	**Tripura**	56-Dharmanagar AC
8.	**Gujarat**	111-Umreth AC

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 52/2026/एसडीआर/खंड-IV दिनांक: 15 मार्च, 2026

अधिसूचना

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 के खंड(ग) के उपबंधों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट करता है कि 85 वर्ष से अधिक आयु के निर्वाचक और संदर्भित दिव्यांगजन, जिन्हें राज्य की निर्वाचक नामावलियों के डाटा बेस में पहले से ही चिह्नित/इंगित किया गया हो, और जो डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के लिए आवेदन करते हैं और जो संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उसके अनुरोध के सत्यापन की शर्त के अधीन हैं, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के भाग-IIIक के प्रावधानों के अनुसार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 30 के

अंतर्गत **16.03.2026, 30.03.2026 and 02.04.2026 को अधिसूचित होने वाले असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी विधानसभाओं के वर्तमान साधारण निर्वाचन एवं 6 राज्यों में 8 निर्वाचन क्षेत्रों (अनुलग्रक-1 के अनुसार) के उप निर्वाचनों** के लिए डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के लिए व्यक्तियों की एक श्रेणी होंगे।

आदेश से,

(एस.बी. जोशी)
प्रधान सचिव

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 52/2026/एसडीआर/खंड-IV दिनांक: 15 मार्च, 2026

अधिसूचना

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 के खंड(ग) के उपबंधों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट करता है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित कोविड-19 संदिग्ध या प्रभावित ऐसे व्यक्ति, जो डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के लिए आवेदन करते हैं और जो संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उसके अनुरोध का सत्यापन किए जाने की शर्त के अधीन हैं, इस विषय पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत निर्देशों एवं दिशानिर्देशों के साथ पठित, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ.सं. 1964 (अ.) दिनांक 19 जून, 2020 के जरिए यथासंशोधित, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के भाग-IIIक, के उपबंधों के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 30 के अंतर्गत **16.03.2026, 30.03.2026 and 02.04.2026 को अधिसूचित किए जाने वाले असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी विधानसभाओं के वर्तमान साधारण निर्वाचन एवं 6 राज्यों के 8 निर्वाचन क्षेत्रों (अनुलग्रक-1 के अनुसार) के उप निर्वाचनों** के लिए डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के लिए व्यक्तियों की एक श्रेणी होंगे।

आदेश से,

(एस.बी. जोशी)
प्रधान सचिव

अनुलग्रक-1

क्रम सं.	राज्य का नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम
1.	महाराष्ट्र	223-राहुरी वि.स.नि.क्षे.
2.		201-बारामती वि.स.नि.क्षे.
3.	गोवा	21- फोंडा वि.स.नि.क्षे.
4.	कर्नाटक	24-बागलकोट वि.स.नि.क्षे.
5.		107-दावन्गेरे दक्षिण वि.स.नि.क्षे.

6.	नागालैंड	28-कोरीडाँग(अ.ज.जा) वि.स.नि.क्षे.
7.	त्रिपुरा	56-धर्मनगर वि.स.नि.क्षे.
8.	गुजरात	111-उमरेठ वि.स.नि.क्षे.

Date : 17-Mar-2026

Direction

No. 5-9-2026/ELEC/597

The following Direction No. 576/3/EVM/2026/SDR-Vol.I dated 15-03-2026 issued by the Election Commission of India, New Delhi, under Section 61A of Representation of People Act, 1951, regarding the bye-elections of 21—Ponda Assembly Constituency, in the State of Goa, is hereby published for general information.

Sanjay Goel, IAS, Chief Electoral Officer.

Panaji.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

Dated: 15th March, 2026

Direction

No. 576/3/EVM/2026/SDR-Vol-I

Whereas, Section 61A of the Representation of the People Act, 1951, provides that the giving and recording of votes by voting machines in such manner as may be prescribed, may be adopted in such constituency or constituencies as the Election Commission of India may, having regard to the circumstances of each case, specify; and

2. Whereas, as per the proviso to Rule 49A of the Conduct of Elections Rules, 1961, a printer with a drop box of such design, as may be approved by the Election Commission of India, may also be attached to voting machine for printing a paper trail of the vote, in such constituency or constituencies or parts thereof as the Election Commission of India may direct; and

3. Whereas, the Election Commission has considered the circumstances in **current general election to the Legislative Assemblies of Assam, Kerala, Tamil Nadu, West Bengal and Puducherry and bye elections to 8 Assembly Constituencies in 6 States (as per Annexure-I) announced vide the Election Commission's Press Notes No. ECI/PN/029/2026 and No. ECI/PN/030/2026 both dated 15th March, 2026,** and is satisfied that sufficient number of Electronic Voting Machines (EVMs) and Printers for printing Paper Trail [Voter Verifiable Paper Audit Trail (VVPAT)] are available for taking the poll in the above said Assembly Constituencies. The polling personnel are well trained in efficient handling of EVMs and 'VVPAT Printers' and the electors are also fully conversant with the operation of the EVMs and the VVPAT Printers;

4. Now, therefore, the Election Commission of India, in exercise of its powers under the said Section 61A of the Representation of the People Act, 1951, and Rule 49A of the Conduct of Elections Rules, 1961, hereby **specifies all the Assembly Constituencies in Assam, Kerala, Tamil Nadu, West Bengal and Puducherry and 8 Assembly Constituencies in 6 States (as per Annexure-I) to be notified on 16.03.2026, 30.03.2026 and 02.04.2026** as the constituencies in which the votes shall be given and recorded by means of EVMs and VVPAT printers in the manner prescribed, under the Conduct of Elections Rules, 1961, and the supplementary instructions issued by the Election Commission from time to time on the subject.

5. The Election Commission also hereby approves the design of EVMs and VVPAT Printers as developed by the Bharat Electronics Ltd., Bangalore and Electronics Corporation of India Ltd., Hyderabad, which shall be attached to the said machines, to be used for the giving and recording of votes in all the Constituencies.

By Order,

(*S .B. Joshi*)
Principal Secretary

ANNEXURE-1

Sl. No.	Name of the State	Number and Name of the AC
1.	Maharashtra	223-Rahuri AC
2.		201-Baramati AC
3.	Goa	21-Ponda AC
4.	Karnataka	24-Bagalkot AC
5.		107-Davanagere South AC
6.	Nagaland	28-Koridang(ST) AC
7.	Tripura	56-Dharmanagar AC
8.	Gujarat	111-Umreth AC

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 576/3/ईवीएम/2026/एसडीआर/खण्ड-I दिनांकः 15 मार्च, **2026**

निदेश

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61क में यह उपबंध किया गया है कि ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों में वोटिंग मशीनों द्वारा मतदान करने और मतों के अभिलेखन का यथाविहित ऐसा तरीका अपनाया जाए, जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विनिर्दिष्ट किया जाए;

2. यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49क के परन्तुक के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यथा-अनुमोदित ऐसे डिजाइन वाला ड्रॉप बॉक्स युक्त एक प्रिंटर भी, ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों या उसके भागों में मत के पेपर ट्रेल के मुद्रण के लिए मतदान मशीन के साथ जोड़ा जाए जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निदेश दिया जाए;

3. यतः, निर्वाचन आयोग ने अपने **प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन**/029/2026 **सं. ईसीआई/पीएन**/030/2026 **दोनों दिनांक** 15 **मार्च**, 2026 **के जरिए घोषित असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी विधानसभा**ओं **के वर्तमान साधारण निर्वाचन एवं 6 राज्यों में 8 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों (अनुलग्रक-1 के अनुसार) के उपचुनावों** में सभी परिस्थितियों पर विचार किया है, और निर्वाचन आयोग संतुष्ट है कि उपर्युक्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान कराने के लिए पर्याप्त संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें (ईवीएम) और पेपर ट्रेल [मतदाता सत्यापनीय पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन (वीवीपैट)] मुद्रित करने के लिए प्रिंटर उपलब्ध हैं। मतदान कार्मिक ईवीएम और 'वीवीपैट प्रिंटरों' को कुशलतापूर्वक संभालने में अच्छी तरह से प्रशिक्षित हैं और मतदाता भी ईवीएम और वीवीपैट प्रिंटरों के प्रचालन से पूर्ण रूप से अवगत हैं ।

4. अब, इसलिए, भारत निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की उक्त धारा 61क तथा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49क के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, **16.03.2026, 30.03.2026 तथा 02.04.2026 को अधिसूचित किए जाने वाले असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी विधानसभाओं के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों एवं 6 राज्यों में 8 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों (अनुलग्नक-1 के अनुसार), को ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में विनिर्दिष्ट करता है**, जिनमें निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 और इस विषय पर निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुपूरक अनुदेशों के अंतर्गत विहित तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों तथा वीवीपैट प्रिंटरों के माध्यम से मत डाले और अभिलिखित किए जाएंगे।

5. निर्वाचन आयोग, एतद्द्वारा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलोर तथा इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा यथा-विकसित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और वीवीपैट प्रिंटरों, जिन्हें सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मत डालने और अभिलिखित करने के लिए उक्त मशीनों से जोड़ा जाएगा, के डिजाइन को भी अनुमोदित करता है।

आदेश से,

(एस.बी. जोशी)
प्रधान सचिव

अनुलग्नक-1

क्रम सं.	राज्य का नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम
1.	महाराष्ट्र	223-राहुरी वि.स.नि.क्षे.
2.		201-बारामती वि.स.नि.क्षे.
3.	गोवा	21- फोंडा वि.स.नि.क्षे.
4.	कर्नाटक	24-बागलकोट वि.स.नि.क्षे.
5.		107-दावनगेरे दक्षिण वि.स.नि.क्षे.
6.	नागालैंड	28-कोरीडाँग(अ.ज.जा) वि.स.नि.क्षे.
7.	त्रिपुरा	56-धर्मानगर वि.स.नि.क्षे.
8.	गुजरात	111-उमरेठ वि.स.नि.क्षे.

www.goaprintingpress.gov.in
Published by the Director, Printing & Stationary,
Government Printing Press,
Mahatma Gandhi Road, Panaji-Goa 403 001.
Price—Rs. 10.00
PRINTED AT GOVERNMENT PRINTING PRESS, PANAJI-GOA—480/80-3/2026.